



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267215
CG-DL-E-28102025-267215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4738]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 4738]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4884(अ).— केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (CPCSEA) के गठन को अधिसूचित करने संबंधी भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3- उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के दिनांक 16-01-2025 के का.आ. 323(अ) में निम्नलिखित संशोधित करती है, नामतः:

2. उक्त अधिसूचना में:-

(क) क्रम संख्या 1 से संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी-

1. संयुक्त सचिव

प्रभारी जीव जंतु कल्याण प्रभाग

पशुपालन और डेयरी विभाग,

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली

[फा. सं. वी-11011(13)/9/2024-सीपीसीएसईए-डीएडीएफ]

के. गुरुमूर्थी, संयुक्त सचिव (प्रसाशन)

नोट: पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (CPCSEA) के गठन हेतु अंतिम अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 को का. आ. 323(अ) के तहत जारी की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2025

S.O. 4884(E).— In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying Number S.O. 323(E) dated 16.01.2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii) notifying the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), namely:

2. In the said notification:-

(a) at entry related to the serial number 1 following entries shall be inserted—

1. Joint Secretary

In-Charge Animal Welfare Division

Department of Animal Husbandry & Dairying,

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, New Delhi

[F. No. V-11011(13)/9/2024-CPCSEA-DADF]

K. GURUMURTHY, Jt. Secy. (Admn)

Note: The last notification for the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) was issued vide S.O. 323(E) dated 16.01.2025.